न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 16/2024/विविध प्रार्थना पत्र

अमृत शेखावत पत्नी बजरंगसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी ग्राम दुजोद, तहसील सीकर ग्रामीण, जिला सीकर, हाल निवासी कृषि उपज मण्डी के सामने, सुभाष कोलोनी, देवीपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर

—आवेदिका

बनाम

1. पावर ग्रिड भादला II ट्रान्समिशन लिमिटेड जरिये परियोजना प्रमुख महाप्रबन्धक लाईन इन्चार्ज 6 सी—104 जयनारायण व्यास कोलोनी बीकानेर (राज.) 334001
2. पावर ग्रिड भादला II ट्रान्समिशन लिमिटेड जरिये उप महाप्रबन्धक सीकर II प्लाट नं0 2, 3 गजानन्द वाटिका जयपुर बीकानेर बाईपास देवीपुरा सीकर 332021

—अनावेदक

उपस्थितः—

1. श्री सूरजभान सिंह, अधिवक्ता आवेदक की ओर से।
2. श्री विक्रम शर्मा, अधिवक्ता अनावेदक की ओर से।

प्रार्थना पत्र अं.धा. 16 इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट
सपठित धारा 164 विद्युत अधिनियम 2003 आवेदन स्थगन अं.धा. 151 जा.दि.

आदेश

दिनांकः 30 अक्टूबर, 2025

1. आवेदिका **अमृत शेखावत** की ओर से यह प्रार्थना पत्र अं.धा. 16 इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट सपठित धारा 164 विद्युत अधिनियम 2003 आवेदन स्थगन अं.धा. 151 जा.दि. वकील **श्री सूरजभान सिंह** द्वारा पेश किया गया है। आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैंः—
   (1) अप्रार्थीगण की 765 के वी डबल सर्किट हाईटेन्शन लाईन भादला II सीकर II लाईन भादला बीकानेर से ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर मे से ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नं0 13. 14, 15 से होकर आगे जाना प्रस्तावित है। ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1070/912 रकबा 1.00 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमें ट्यूबवेल बना हुआ है अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. में विद्युत कनेक्शन जारी करने का डिमाण्ड नोटिस जारी किया है डिमाण्ड नोटिस की

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

राशि प्रार्थीया ने जमा करवा दी है।–अप्रार्थीगण की जो विद्युत लाईन ले जाना प्रस्तावित है वह भादला बीकानेर से प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 1070/912 में बढ़ा टावर स्थापित कर विद्युत लाईन आगे खसरा नम्बर 844 में से होकर आगे ले जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त हाईटेन्शन लाईन का राईट आफ वे 67 मीटर चोडा अर्थात 220 फीट चोडा रहता है 220 फीट तक इस लाईन का डेन्जर जोन रहता है विद्युत तार 100 फीट के करीब की चोड़ाई में चलते है तथा इसके सबसे छोटे विद्युत टावर 72X72 फीट लम्बाई चोडाई वाले तथा 200 फीट ऊचे होते है उल्लेखनीय होगा कि राईट आफ वे की 67 मीटर अर्थात 220 फीट चोडाई वाली जमीन में कोई भी स्थाई व अस्थाई निर्माण टयूबबेल बनाना सोलर प्लेट लगाना, पशु घर बनाना, पेड लगाना आदि पूर्णतया अवैध है।

(3) अप्रार्थीगण की उक्त लाईन के दो टावरो की मध्य बीच की दुरी 400 मीटर निर्धारत है अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम दुजोद की भूमि खसरा नम्बर 650 में एस–27 नम्बर का टावर प्रस्तावित है उसके आगे दूसरा टावर खसरा नम्बर 652 में एस–28 टावर प्रस्तावित है दोनो टावरो की मध्य की दुरी करीब 149 मीटर है जो निर्धारित दूरी से कम है उक्त टावर सं० एस–28 अनावश्यक रूप से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है एस–28 टावर के पश्चात हाईटेन्शन लाईन को दक्षिणी तरफ मोडी गई है। उक्त टावर नं. एस–28 जानबुझकर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियो को लाभ पहुंचाने की गर्ज से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है वरना जब लाईन की दिशा गोडनी थी तो टावर सं० एस 27 से भी दक्षिणी तरफ मोडी जा सकती थी और उससे मोडने पर जिस जमीन पर से लाईन जाएगी वह सारी जमीन बारानी है उस जमीन में कोई घर मन्दिर इत्यादि कुछ भी नहीं है जबकि टावर सं. एस–20 अनावश्यक रूप से स्थापित कर जिन लोगों को लाभ दिया जा रहा है उनके लिए यह टावर सं. एस–28 स्थापित किया जा रहा है एस–28 टावर स्थापित कर पावर ग्रिड कम्पनी को एक टावर का आर्थिक नुकसान बिना वजह भोगना पड रहा है।

(4) प्रस्तावित टावर सं. एस–29 से लाईन आगे प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1070/912 रकबा 100 हेक्टर से ले जाना प्रस्तावित है उल्लेखनीय होगा कि टावर सं० एस–29 से जो लाईन आगे ले जाना प्रस्तावित है वह लाईन करीब 636 मीटर आगे ले जाकर प्रार्थीया की कृषि भूमि में बड़ा टावर 118 फीट लम्बा गुणा 100 फीट चोडा व 200 फीट ऊचा लगाया जाना प्रस्तावित है तथा प्रार्थीया की कृषि भगि में बड़ा टावर स्थापित कर आगे लाईन कृषि भूमि खसरा नम्बर 844 ग्राम दुजोद में से आगे ले

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

जाना प्रस्तावित है प्रार्थीया की कृषि मे से होकर बरसाती नाला है जो हर्ष की पहाडियों की तरफ से आता है तथा आगे सांवली बजाज ग्राम में अवस्थित तलाई में पानी चला जाता है कटाव क्षेत्र में बडा टावर खेत के बीचो बीच लगाया जाना प्रस्तावित है तथा प्रार्थीया की कृषि भूमि में ट्यूबवेल बना हुआ है तथा ट्युबबेल पर विद्युत कनेक्शन का नम्बर आ गया है तथा जिसकी डिमाण्ड राशि 25,600/– रूपये दिनांक 11–10–2023 को अजमेर विधुत वितरण निगम लि० सीकर सहायक अभियन्ता कार्यालय ग्रामीण सीकर में जमा करवाये जा चुके है। प्रार्थीया की कृषि भमि खसरा नम्बर 1070/912 से पूर्व जो कृषि भूमि है तथा 1070/912 के पश्चात जो कृषि भूमि है वे बारानी है उनमें कोई मकान या ट्यूबवेल नही है खसरा नम्बर 844 में लाईन इन भूमियो मे से होकर भी जा सकती है कोई बाधा या रूकावट नहीं है।

(5) प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1070/912 के मध्य में बड़ा टावर सं. एस–30 व एस–31 स्थापित करना प्रस्तावित है प्रार्थीया के उक्त खेत की चोड़ाई 238 फीट है उक्त टावर स्थापित हो जाने पर खेत दो टूकडो में बट जावेगा और टावर बीच में आ जावेगा एक टूकडे से दूसरे टुकडे में आने जाने के लिए रास्ता ही नही बचेगा वट्रेक्टर से जुताई भी नही हो सकेगी। इसी खसरा नम्बर में प्रार्थीया का ट्यूबवेल बना हुआ है जिसमें विधुत सम्बन्ध के लिए नम्बर आ गया है व डिमाण्ड राशि जमा करवादी गई है किन्तु टयूबबेल लाईन के कोरिडोर व डेन्जर जोन के निचे है इसलिये लाईन खेचने के बाद उक्त ट्यूबबेल का ओचित्य ही समाप्त हो जावेगा।

(6) प्रार्थीया के खेत में बरसाती पानी का हर्ष पहाडी की और से पानी का नाला आता है जो आगे सांवली तलाई में चला जाता है विशाल टावर स्थापित होने से उक्त पानी का बहाव रूक जावेगा व कभी भी भंयकर जनहानि भी होना सम्भावित है।

(7) टावर सं. एस–29 से टावर सं. एस–30–एस–31 के मध्य की दुरी 636 मीटर है जबकि निर्धारित दूरी 400 मीटर है इसलिये 400 मीटर की दूरी पर टावर स्थापित कर देने से प्रार्थीया का ट्यूबवेल व पानी के नाला से बचा जा सकता था यदि 400 मीटर पर टावर स्थापित होता तो कोई तकनीकी अडचन नही थी। किस तकनीक के आधार पर यह दूरी 636 मीटर ही तय की है यह समझ से परे है यह दूरी 600 मीटर भी हो सकती थी अथवा 650 मीटर भी हो सकती थी। अप्रार्थीगण की उपरोक्त हाईटेन्शन विधुत लाईन आम जन के लिए भी असुविधाजनक है व नुकसानदाई है उसके लिए नगर विकास न्यास सीकर व कलेक्टर महोदय सीकर व तहसीलदारजी सीकर ग्रामीण व सभी

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

जनप्रतिनिधि सरपंच महोदय ग्राम पंचायत दुजोद विधायक महोदय घोद व सांसद महोदय सीकर ने उक्त हाईटेन्शन लाईन को ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नं. 13, 14, 15 में घनी आबादी है से दूर ले जाने हेतु लिखा है व रूट चेन्ज करने हेतु लिखा है उल्लेखनीय होगा कि ग्राम दुजोद की उत्तरी सीमा से प्रवेश कर जो हाईटेन्शन लाईन ले जाना प्रस्तावित वे भूमिया ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नं. 13, 14, 15 में पडती है जहा घनी आबादी बसी हुई है।

(8) यू.आई.टी. सीकर के सचिव ने जरिये पत्र क्रमांक न.वि.न्या/राजस्व/2024/7082 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के सार्वजनिक नोटिस दिनांक 30.12.2023 राजस्थान पत्रिका के सन्दर्भ में आपत्ति भेजकर लिखा है कि जिन भूमियों से विधुत लाईन से जाना प्रस्तावित है वे भूमिया मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में है तथा इन भमियों में यू.आई.टी. सीकर द्वारा बहुउदेशिय आवासीय योजना बसाने हेतु राज्य सरकार को पूर्व में दिनांक 02.08.2021 को प्रस्ताव भिजवाये हुये है प्रस्ताव राज्य सरकार के पास प्रक्रियाधीन है तथा इस लाईन के पास ही श्री कल्याण मेडिकल कालेज व सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल व टी बी अस्पताल अवस्थित है। इसलिये इस लाईन के प्रस्ताव को निरस्त कर अन्य सर्वे करवाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। तहसीलदार सीकर ग्रामीण ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/208 दिनाक 26.02.2024 द्वारा उक्त लाईन से गम्भीर जनहानि होने की सम्भावना व्यक्त की है। कलेक्टर सीकर ने अपने पत्र क्रमांक विकास/2024/06 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को आपत्ति आवेदन भेजकर लिखा है कि उक्त लाईन का पुनः सर्वे करवाकर उक्त लाईन को नगर विकास न्यास सीकर के मास्टर प्लान में शामिल क्षेत्र से बाहर रखते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवाए।

(9) जिला कलेक्टर सीकर ने दिनांक 24.02.2024 को अप्रार्थीगण पावर ग्रिड लाईन का कार्य आगामी उच्च स्तरीय आदेशो तक स्थगित किए जाने की आज्ञा पारित की तथा इस आदेश की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जो दैनिक अखवार आस पास दिनांक 25.02.2024 में उक्त न्यूज साया हुई है।

(10) अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त लाईन स्थापित किए जाने के प्रस्ताव के बारे में एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 30.12.2023 को राजस्थान पत्रिका में साया की थी व 60 दिन में आपतिया आमत्रित की थी उल्लेखनीय होगा कि उक्त सार्वजनिक नोटिस में न तो विज्ञप्ति जारी करने के कोई डिस्पेच नम्बर है न ही किसी दिनांक का अंकन है न ही ई–मेल एड्रेस है न ही किसी अधिकारी के मोबाईल नम्बर है न ही किन किन खसरा नम्बर मे से लाईन जायेगी कहा

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

कहा टावर प्रस्तावित है उसका उल्लेख है, तथा सीकर ग्रामीण तहसील के कालम में जो गांव लिखे है उनमे करीब 17 गांव दूसरी तहसील दांतारामगढ़ के लिखे है सार्वजनिक नोटिस अस्पष्ट व भ्रामक है तथा सार्वजनिक नोटिस में लिखा है कि प्रस्तावित विद्युत लाईन का नक्शा परियोजना प्रमुख के पास उपलब्ध है किन्तु परियोजना प्रमुख महोदय ने दिनांक 30.01.2024 को प्रार्थी को सूचित किया कि प्रस्तावित लाईन का नक्शा हमारे पास उपलब्ध नही है। अप्रार्थी सं. 1 का उक्त जवाब भ्रामक है तथा अनावेदक क्लीन हैण्ड से नही आये है तथा उक्त सार्वजनिक नोटिस में सीकर पावर ग्रिड की चीफ जनरल मैनेजर आफिस का उल्लेख तक नहीं किया है कि सीकर में भी हमारा आफिस है।

(11) प्रार्थी ने समयावधि में प्रस्तावित लाईन के बारे में आपत्ति दिनांक 22.01.2024 को अनावेदक सं. 1 के यहा प्रस्तुत की व उसमे इस आवेदन में उल्लेखित समस्त आपतियो का उल्लेख किया लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया बिना कारण बताए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर बिना वजह मनमाने तरीके से प्रार्थी की आपत्ति निरस्त फरमादी।

(12) प्रार्थी ने दिनांक 17.01.2024 को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अप्रार्थी नं. 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुजोद मे से प्रस्तावित लाईन कौन–कौन से खसरा नम्बरान में से होकर जा रही है तथा टावर कहाँ प्रस्तावित है खसरा नम्बरान व नक्शा उपलब्ध करवाये। अनावेदक सं. 1 ने दिनांक 03.02.2024 को जवाब भिजवाया कि उनके पास खसरा नम्बरान उपलब्ध नही है तथा प्रस्तावित जाने वाली नई लाईन का खसरा नम्बर व किसी प्रकार का नक्शा उपलब्ध नहीं है अप्रार्थी का उक्त जवाब ईवेजिव व टालमटोल करने वाला है जबकि उनके पास खसरा नम्बर व प्रस्तावित लाईन का सारा रिकार्ड उपलबा है।

(13) कानूनन कोई भी हाईटेन्शन विद्युत लाईन डिजाइन करने से पूर्व तीन रूट पर सर्वे किया जाता है 765 के वी हाईटेन्शन लाईन का पूर्व में सर्वे ग्राम दुजोद की दक्षिणी तरफ किया गया था किन्तु उस रूट पर लाईन क्यो नही ले जाई जा रही है इस बाबत प्रार्थी ने जानकारी चाही तो अनावेदक ने अपने जवाब दिनांक 07.02.2024 में दुजोद गांव के दक्षिणी साईड से सर्वे होना तो स्वीकार किया है किन्तु उस सबै का कोई विवरण विभाग के पास नहीं है जवाब में लिखकर इवेजिव रिप्लाई दिया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(14) पावर ग्रिड के अधिकारियो को सरकारी निर्देश है कि विद्युत लाईन से काश्तकार को कम से कम नुकसान हो खेतो के बीचो बीच से लाईन नहीं ले जावे खेतो की सीव पर से लाईन ले जावे उनके मकान व टयुबवेल व पशु घर को बचाये, किन्तु अनावेदकगण मनमर्जी से अन्यथा प्रभावित होकर उक्त लाईन को ग्राम दुजोद कि वार्ड नं0 13. 14, 15 में से होकर ले जाने को प्रस्तावित किए जाने का कार्य किया है जो निरस्त होने योग्य है।

(15) अप्रार्थीगण ने बिना किसी तकनीकी आधार के विधुत लाईन को जिगजेग तरीके से मनचाहे स्थान से बिना किसी तकनीकी आधार के दिशा मोड कर प्रस्तावित लाईन स्थापित की जा रही है जिससे प्रार्थी के अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य मनमाना व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अभी तक टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत टेलीग्राफ लाईन स्थापत करने के लिए अनावेदकगण को शक्तिया प्रदान नहीं की गई है इसलिये प्रार्थी के आवेदन के निस्तारण से पूर्व व प्रार्थी की आपत्तिया सुनवाई से पूर्व उन्हे अधिनियम की शक्तियो का प्रयोग करने की अनुमति दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है।

(16) अभी तक प्रार्थी के खेतों में खड़े पेड पोधों का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है मुआवजा निर्धारित करने से पर्व उक्त पेड जो काफी संख्या में है काटा जाना न्यायोचित नहीं है क्यों कि पेड़ों के कटने के बाद मुआवजा राशि निर्धारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अभी तक प्रार्थी की कृषि भूमि का मुआवजा भी निर्धारित नहीं किया गया है इसलिये भी प्रस्तावित विद्युत लाईन को स्थापित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(17) अतः अप्रार्थीगण की 765 के वी डबल सर्किट भादला II सीकर II लाईन हाईटेन्शन लाईन व टावर सं. एस–30 व एस–31 प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 1070/912 वाके ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर (राज.) मे से स्थापित नहीं कि जाने की आज्ञा प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. अनावेदक की ओर से वकील उपस्थित आये एवं जवाब पेश किया गया है है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में अप्रार्थीगण की 765 केवी डबल सर्किट हाईटेंसन लाइन भादला III सीकर II लाइन भादला बीकानेर से ग्राम दुजोद

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में से ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नंबर 13, 14, 15 से होकर आगे जाना प्रस्तावित है, यदि किसी कारणवश लाइन पूर्व निर्माण/ट्यूबवेल की दूरी विनिमय 63(iii) में निर्धारित दूरी से कम पाई जाएगी, तो नियमानुसार निर्धारित मुआवजा प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से विद्युत लाईन जाना प्रस्तावित है। उक्त लाइन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68(1) के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है, एवं निर्माण कार्य के दौरान लाइन कोरिडोर में अगर फसल/पेड़/ट्यूबवेल की जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा नियमानुसार सम्बंधित विभाग के आकलन के आधार पर सत्यापन के बाद विभाग द्वारा देय होगा।

(2) लाइन की तकनीकी आवश्यकताओं व विभिन्न मापदंडो को ध्यान में रखते हुए लाइन को मोड़ दिया जाता है। लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है। उपरोक्त खसरा नम्बरों में सर्वे कार्य पूरा होने के बाद टावर की वास्तविक जगह की जानकारी पता लगेगी।

(3) उल्लेखित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गए रूट पर फॉरेस्ट व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां से लाइन ले जाना संभव नहीं है। वर्तमान रूप ही तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त है। ग्राम दुजोद व आस–पास का यह क्षेत्र जहां से लाइन प्रस्तावित है, का सर्वे जिला कलेक्टर सीकर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार लाइन के किसी भी घनी आबादी से होकर गुजरने का जिक्र नहीं है। उक्त लाइन के मार्ग में समिति के रिपोर्ट के अनुसार, लाइन किसी भी पूर्व निर्मित मकान या कॉलोनी से होकर जाने का जिक्र नहीं है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुछ भूमि गैर कृषि कार्य के लिए संपरिवर्तित की गई है जिसमें सर्वे के दौरान कोई निर्माण नहीं पाया गया।

(4) यह लाइन CEA द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। अतः किसी प्रकार की जनहानि की संभावना नहीं है। प्रस्तावित लाइन श्री कल्याण राजकीय मेडिकल महाविद्यालय, सीकर से लगभग 1000 मीटर दूर से गुजर रही है। महाविद्यालय में होने वाले विस्तार में कोई बाधा नहीं होगी। सार्वजनिक नोटिस जारी करने की दिनांक स्वाभाविक रूप से अखबार के प्रकाशन का दिनांक ही होता है, अतः अधिसूचना का दिनांक 30.12.2023 है। अन्य डिटेल्स जैसे कि ईमेल, संपर्क विवरण इत्यादि आप

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

पावरग्रिड की अधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in से ले सकते हैं। पावरग्रिड कार्यालय प्लाट नं. 2–3, गजानंद वाटिका, जयपुर बीकानेर बाईपास, देवीपुरा, सीकर–332021 या 6C–104, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान–334001 पर संपर्क कर सकते है।

(5) प्राथमिक सर्वे के दौरान 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवो को भी चिन्हित किया जाता है, चूकी यह लाईन दांतारामगढ तहसील से गुजरती है अतः इस तहसील के गाँवो को भी चिन्हित किया गया है।

(6) प्रार्थी द्वारा प्राप्त आवेदन का जबाब, प्रार्थी के पते पर दिनाक 07.02.2024 को भिजवा दिया गया था। प्रार्थी के आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2024 का जवाब पावरग्रिड के पत्रांक PGBIITL/NR-I/Bikaner/2289/22 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा दे दिया गया है। लाइन डिजाईन करने हेतु तीन रूट पर सर्वे किया जाता है जिसमें से तकनीकी जरूरत, सुरक्षा एवं वित्तिय मापदंड के अनुसार उपयुक्त लाइन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है तत–पश्चात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(7) भूमि का मुआवजा भारत सरकार द्वारा जारी 14 जून 2024 की नये दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा।

(8) अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

4. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस आवेदिक के अधिवक्ता ने आवेदन एवं लिखित बहस में दर्ज तथ्यों के अनुरूप तथा अनावेदक के अधिवक्ता ने जवाब आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं।

आवेदिक के अधिवक्ता ने कथन किया है कि, उक्त हाईटेंशन लाईन गुजरने के कारण आवेदक की भूमि किसी भी काम की नहीं रही है। आवेदक उसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य अथवा अन्य किसी प्रकार के भी उपयोग में नहीं ले सकता है। जिस भूमि पर से हाईटेंशन लाईन गुजराना प्रस्तावित है अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है और जिस दर से मुआवजा दिया जाना तय किया गया है वह दर बाजार मूल्य से अत्यधिक कम है। अतः उक्त प्रस्तावित हाईटेंशन लाईन को अन्य स्थान पर प्रतिस्थापित करवाया जावे।

अनावेदक के अधिवक्ता ने कथन किया कि यह लाइन CEA द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। उल्लेखित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गए रूट पर फॉरेस्ट व पहाड़ी क्षेत्र होने के

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

कारण वहां से लाइन ले जाना संभव नहीं है। वर्तमान रूप ही तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त है। ग्राम दुजोद व आस–पास का यह क्षेत्र जहां से लाइन प्रस्तावित है, का सर्वे जिला कलेक्टर सीकर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार लाइन के किसी भी घनी आबादी से होकर गुजरने का जिक्र नहीं है। उक्त लाइन के मार्ग में समिति के रिपोर्ट के अनुसार, लाइन किसी भी पूर्व निर्मित मकान या कॉलोनी से होकर जाने का जिक्र नहीं है। लाइन की तकनीकी आवश्यकताओं व विभिन्न मापदंडो को ध्यान में रखते हुए लाइन को मोड़ दिया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुछ भूमि गैर कृषि कार्य के लिए संपरिवर्तित की गई है जिसमें सर्वे के दौरान कोई निर्माण नहीं पाया गया। यदि किसी कारणवश लाइन पूर्व निर्माण/ट्यूबवेल की दूरी विनिमय 63(iii) में निर्धारित दूरी से कम पाई जाएगी, तो नियमानुसार निर्धारित मुआवजा प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा। उक्त लाइन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68(1) के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है, एवं निर्माण कार्य के दौरान लाइन कोरिडोर में अगर फसल/पेड़/ट्यूबवेल की जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा नियमानुसार सम्बंधित विभाग के आकलन के आधार पर सत्यापन के बाद विभाग द्वारा देय होगा। अतः आवेदक का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनसे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं।

(1) अप्रार्थीगण की 765 के.वी.डबल सर्किट हाईटेन्शन लाईन भादला III सीकर II लाईन भादला बीकानेर से ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में से ग्राम पंचायत दुजोद के वार्ड नं0 13 14, 15 से होकर आगे जाना प्रस्तावित है। उक्त लाईन आवेदिका की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1070/912 रकबा 1.00 हैक्टेयर में से जाना भी प्रस्तावित है।

(2) यह लाइन CEA द्वारा बनाए गए सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गए रूट पर फॉरेस्ट व पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां से लाइन ले जाना संभव नहीं है। वर्तमान रूप ही तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त है। ग्राम दुजोद व आस–पास का यह क्षेत्र जहां से लाइन प्रस्तावित है, का सर्वे जिला कलेक्टर सीकर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार लाइन के किसी भी घनी आबादी से होकर गुजरने का जिक्र नहीं है। उक्त लाइन के मार्ग में

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

समिति के रिपोर्ट के अनुसार, लाइन किसी भी पूर्व निर्मित मकान या कॉलोनी से होकर जाने का जिक्र नहीं है। लाइन की तकनीकी आवश्यकताओं व विभिन्न मापदंडो को ध्यान में रखते हुए लाइन को मोड़ दिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान व क्षति पहुचाने की गर्ज से। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुछ भूमि गैर कृषि कार्य के लिए संपरिवर्तित की गई है जिसमें सर्वे के दौरान कोई निर्माण नहीं पाया गया। यदि किसी कारणवश लाइन पूर्व निर्माण/ट्यूबवेल की दूरी विनिमय 63(iii) में निर्धारित दूरी से कम पाई जाएगी, तो नियमानुसार निर्धारित मुआवजा प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा। उक्त लाइन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68(1) के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त लाइन को सम्पूर्ण सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए बनाया जाना स्वभाविक है, एवं निर्माण कार्य के दौरान लाइन कोरिडोर में अगर फसल/पेड़/ट्यूबवेल की जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा नियमानुसार सम्बंधित विभाग के आकलन के आधार पर सत्यापन के बाद विभाग द्वारा देय होगा।

(3) लाईन का रूट डायवर्ट किये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस आधार आवेदिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्युतीकरण राष्ट्रीय महत्व एवं जनसामान्य के कल्याण का कार्य है, जिन्हें बेवजह बाधित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र का विद्युतीकरण राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और ऐसे प्रकल्पों को रोका जाना या बाधित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(4) आवेदिका इस न्यायालय को यह संतुष्ट करने में भी असफल रही है कि भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान विवाद सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को प्राप्त है अथवा नहीं।

6. परिमाणतः आवेदिक की ओर प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 16 इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट सपठित धारा–164 विद्युत अधिनियम 2003 अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

7. यह आदेश आज दिनांक **30 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर